

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

आदेश

क्रमांक **86** (App.) /

बिलासपुर, दिनांक: **15** सितम्बर, 2025

II-13-1/2024 (Staff Car Driver)

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर की स्थापना पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों: -

स.क्र.	नाम एवं पिता/पति का नाम	पता	वर्ग जिसके विरुद्ध नियुक्ति की गई
1.	श्री अखिलेश शर्मा आत्मज श्री प्रदीप कुमार शर्मा	एल.आई.जी. 790, सेक्टर-5, पंडित दीनदयाल कालोनी, मंगला, बिलासपुर (छ.ग.) 495001	अनारक्षित
2.	श्री त्रिलोचन सिंह राजपूत आत्मज श्री कैलाश सिंह	ग्राम-अमलीडीह, पोस्ट-कवर्धा, तहसील-कवर्धा, जिला-कबीरधाम (छ.ग.) 491995	अनारक्षित
3.	श्री भूपेन्द्र उपाध्याय आत्मज श्री अरुण उपाध्याय	मकान संख्या - 77, आबादी पारा, ग्राम-चिखली, पोस्ट-टिपनी, थाना-थान खम्हरिया, जिला-बेमेतरा (छ.ग.)- 491338	अनारक्षित
4.	श्री जय प्रकाश पटेल आत्मज श्री जी. आर. पटेल	द्वारा- निवेदिता यादव, म.नं. - ई-29, फॉरेस्ट कालोनी, हनुमान मंदिर परिसर, कोसाबाड़ी, कोरबा, जिला-कोरबा (छ.ग.) 495677	अनारक्षित
5.	श्री मुकेश साहू आत्मज श्री अर्जुन साहू	ग्राम-पोस्ट - सेमरताल, बंगलापारा (गायत्री मंदिर के पास), थाना-कोनी, जिला + तहसील-बिलासपुर (छ.ग.) 495009	अनारक्षित
6.	श्री प्रमोद कुमार साहू आत्मज श्री राज कुमार साहू	ग्राम-पोस्ट - पंधी, थाना-सीपत, जिला-बिलासपुर (छ.ग.) 495555	अनारक्षित
7.	श्रीमती लक्ष्मी यादव पति श्री भीम बली यादव	वार्ड नम्बर-65, संत नामदेव नगर, बंधवापारा, सरकण्डा, जिला-बिलासपुर (छ.ग.) 495006	अनारक्षित (महिला)
8.	श्री सुरेन्द्र कुमार जायसवाल आत्मज श्री रामप्यारे जायसवाल	बी/46, जस्टिस बंगला, शितला मंदिर तिराहा के पास, सिविल लाईन, बिलासपुर, जिला-बिलासपुर (छ.ग.) 495001	अन्य पिछड़ा वर्ग
9.	कृ. दामिनी आत्मजा श्री संजय कुमार	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 491001	अनारक्षित (महिला)
10.	श्री राजेश कुमार महंत आत्मज श्री चमरु दास महंत	1359, आनंद नगर, भैरो ताल, आनंद नगर, वार्ड नम्बर-48, कोरबा (छ.ग.) 495454	अन्य पिछड़ा वर्ग
11.	कृ. वर्षा जायसवाल आत्मजा श्री हरिशंकर जायसवाल	ग्राम-पोड़ी, पोस्ट-बिल्लीबंद, थाना- करगीरोड (कोटा), जिला-बिलासपुर (छ.ग.)	अनारक्षित (महिला)

15/9/25

स.क्र.	नाम एवं पिता/पति का नाम	पता	वर्ग जिसके विरुद्ध नियुक्ति की गई
12.	श्री किशोर कुमार आत्मज श्री मोहन लाल	ग्राम-सेवती, पोस्ट ऑफिस-बरतोरी, तहसील-बिल्हा, जिला-बिलासपुर (छ.ग.) 495224	अनुसूचित जाति
13.	श्री प्रशांत सिंह मिरी आत्मज श्री देवादास	कार्यालय महिला एवं बाल विकास विभाग, बिलासपुर (छ.ग.) 495001	अनुसूचित जाति
14.	श्री कृष्ण कुमार भारत आत्मज श्री भीम प्रसाद भारत	मकान नंबर-327, वार्ड क्रमांक-5, डॉ. खूबचंद बघेल नगर, नगर पालिक निगम, तिफरा, बिलासपुर (छ.ग.) 495001	अनुसूचित जाति (दिव्यांग)
15.	श्री सोहन सिंह आत्मज श्री अजमेर सिंह	ग्राम- पूटा, पोस्ट-मदनपुर, तहसील-पोड़ी उपरोड़ा, जिला-कोरबा (छ.ग.) 495445	अनुसूचित जनजाति
16.	श्री नीलेश कुमार लकड़ा आत्मज श्री सुशील कुमार लकड़ा	मकान नंबर-155, जोबा टिकरा, मिशन पारा, सोनतराई, सीतापुर, सरगुजा (छ.ग.) 497111	अनुसूचित जनजाति
17.	श्री दिलीप कुमार सिदार आत्मज श्री आनंद राम सिदार	शहीद वीर नारायण स्कूल के पास, पाड़ीमार, बाल्कोनगर, जिला-कोरबा (छ.ग.)	अनुसूचित जनजाति

को **स्टॉफ कार ड्राइवर (Staff Car Driver)** के पद पर पे मेट्रिक्स के **लेवल-4 (19500-62000)** में उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से **3 वर्ष की परीक्षा पर** निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियुक्त किया जाता है:-

- (1) परीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न होने पर परीक्षा अवधि आगे एक वर्ष तक और बढ़ाई जा सकेगी और जब तक सेवा हेतु स्थायी न कर दिया जाये तब तक उन्हें परीक्षा पर माना जायेगा।
- (2) परीक्षा काल में उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकेगी।
- (3) अस्थायी सेवा काल में वे यदि स्वयं सेवा से मुक्त होना चाहेंगे तो एक माह की पूर्व सूचना रजिस्ट्री को देनी होगी या यदि तुरन्त कार्य मुक्त होना चाहें तो एक माह की सूचना के बदले एक माह का वेतन जमा करना होगा। इसी प्रकार यदि नियुक्ता द्वारा उन्हें सेवा से पृथक किया जाना हो तो उन्हें नियुक्ता द्वारा एक माह की पूर्व सूचना दी जायेगी या ऐसी सूचना के बदले एक माह का वेतन देकर तुरन्त सेवा से पृथक कर दिया जायेगा।
- (4) **चयनित अभ्यर्थियों को दिनांक 24.09.2025 तक अनिवार्य रूप से अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करना होगा। यदि उनके द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर अपना कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है और नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जाता तो उन्हें कार्यभार ग्रहण करने से अपात्र किया जावेगा।**
- (5) वे मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया स्वस्थता का प्रमाण पत्र कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करेंगे जिसका व्यय उन्हें स्वयं वहन करना होगा।
- (6) सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त शारीरिक अथवा मानसिक स्वस्थता का प्रमाण पत्र प्रतिकूल होने की अवस्था में नियुक्ति आदेश स्वयमेव निरस्त माना जा सकेगा।

15/9/25

- (7) उन्हें अनुप्रमाणन फार्म भरना होगा। पुलिस प्रमाणीकरण अथवा सत्यापन प्रतिकूल होने की अवस्था में नियुक्ति आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा।
- (8) वे उच्च न्यायालय के सेवाकाल में किसी अन्य विभाग को किसी पद के लिये सीधे आवेदन नहीं करेंगे।
- (9) वे बिना पूर्व अनुमति के किसी विद्यालय/महाविद्यालय में अध्ययन नहीं करेंगे, और न ही स्वाध्यायी छात्र के रूप में किसी परीक्षा में सम्मिलित होंगे, यदि वे अध्ययन करते हुए अथवा परीक्षा में सम्मिलित होते हुए पाये गये तो उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
- (10) उन्हें कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति अवश्य प्रस्तुत करना होगा **साथ ही समस्त शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों की स्वहस्ताक्षरित दो छायाप्रतियां अनिवार्य रूप से रजिस्ट्री में प्रस्तुत करना होगा।**
- (11) यह पाये जाने पर कि उन्होंने अपने आवेदन में और उसके साथ प्रस्तुत प्रमाण पत्रों में मिथ्या तथ्यों का समावेश किया है या कोई तथ्य छिपाया है अथवा वह विज्ञापन में उल्लेखित शैक्षणिक एवं कौशल योग्यता के अनुसार अर्हता नहीं रखते हैं तो उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी।
- (12) यह नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उनके वैध ट्रांसपोर्ट (कामर्शियल) ड्राइविंग लायसेन्स [valid Transport (Commercial)(Driving License] एवं समस्त दस्तावेजों के जाँच के अध्याधीन है तथा वाहन चालन का लाइसेंस वैध एवं दस्तावेज पात्रतानुसार नहीं पाये जाने अथवा उचित/सही नहीं पाये जाने पर उन्हें कार्यभार ग्रहण करने से वंचित किया जा सकेगा तथा उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
- (13) उपरोक्त चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक वरीयता उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नहीं अपितु प्रावीण्य सूची में उपरोक्तानुसार उनके क्रम से शासित होगी।
- (14) यह नियुक्ति आदेश चयनित अभ्यर्थियों के उपलब्ध पते पर स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रेषित की जा रही है साथ ही छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के वेबसाइट पर भी अपलोड की जा रही है। चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति आदेश की प्रति वेबसाइट से डाउनलोड करके भी अपना कार्यभार ग्रहण कर सकते हैं।
- (15) यह नियुक्ति माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में विचाराधीन **S.L.P. (C) No. 19668/2022** द्वारा पारित अंतिम आदेश के अध्याधीन होगी।
- (16) यह नियुक्ति अनन्तिम (Provisional) है तथा जाति/जनजाति प्रमाण पत्र उचित माध्यमों से सत्यापित किए जाने के अध्याधीन है और सत्यापन करने पर यदि यह पता चलता है कि अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग जैसा भी मामला हो, से सम्बन्ध होने का दावा झूठा है तो बिना कोई कारण बताए तथा झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए भारतीय दंड संहिता/भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत ऐसी कार्यवाही, जो की जा सकती है संबंधी कार्यवाही के अतिरिक्त, संबंधित की सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी।
- (17) **“आरक्षित पद के विरुद्ध चयनित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करते समय निर्धारित प्रारूप के अनुसार शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा।” (प्रारूप संलग्न)**
- (18) यह नियुक्ति छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय सेवायें (नियुक्ति, सेवा की शर्तें तथा आचरण) नियम, 2017 के प्रावधानों के अंतर्गत की जा रही है अतः इस आदेश में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त उनकी सेवाएं उक्त नियम के प्रावधानों से शासित होंगी।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

सही/—

(मंसूर अहमद)

प्रभारी रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठां. क्रमांक 18429 /
II-13-1/2024

बिलासपुर, दिनांक: 15 सितम्बर, 2025

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निज सचिव, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर,
2. रजिस्ट्रार (सतर्कता/आई.एण्ड ई./न्यायिक/एस.एण्ड.ए. सेल/स्थापना), छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर,
3. डायरेक्टर (सी.एस.जे.ए.), छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर,
4. रजिस्ट्रार (कम्प्यूटराईजेशन)-सह-सी.पी.सी., छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर की ओर उपरोक्त आदेश की प्रति उच्च न्यायालय के वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु,
5. एडिशनल रजिस्ट्रार (न्यायिक/प्रशासन), छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर,
6. ओ.एस.डी., छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर,
7. सभी रजिस्ट्रार (एम.)/ज्वाईंट रजिस्ट्रार (एम.)/एडिशनल रजिस्ट्रार (एम.), छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर,
8. बजट अधिकारी/लेखाधिकारी, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर,
9. डिप्टी रजिस्ट्रार (आवक-जावक शाखा), छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर की ओर उपरोक्त आदेश की प्रति संबंधितों की ओर स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रेषित करने हेतु,
10. डिप्टी रजिस्ट्रार (स्था.), छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
11. कोर्ट ऑफिसर/अनुभाग अधिकारी (लेखा/प्रोटोकॉल/कैश), छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर,
12. उपरोक्तानुसार सारणी के **सरल क्रमांक 1 से 17 तक** के अभ्यर्थीगण,

की ओर सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(मंसूर अहमद)

प्रभारी रजिस्ट्रार जनरल

प्रारूप (एक)

आरक्षित पद अथवा सीट पर नियुक्त/प्रवेशित/निर्वाचित/नामांकित/मनोनित व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत

शपथ-पत्र

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी आ0
..... उम्र वर्ष व्यवसाय निवासी
..... तहसील जिला राज्य शपथपूर्वक कथन करता/करती हूँ कि :

- (1) मेरे द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पद/सीट/लाभ/सुविधा हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है/था।
- (2) मेरी नियुक्ति/प्रवेश/निर्वाचन/नामांकन/मनोनयन आरक्षित पद/सीट के अध्ययधीन प्रदान की गई है।
- (3) मेरे द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग को होने के संबंध में (प्राधिकृत अधिकारी का नाम एवं पद) द्वारा जारी सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया है।
- (4) मेरे द्वारा प्रस्तुत सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र विहित रीति से तथा विहित प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है तथा उक्त प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु मेरे द्वारा सक्षम प्राधिकारी को दी गई समस्त जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान एवं जानकारी के अनुसार सत्य है।
- (5) कदाचित उपर्युक्त जाति प्रमाण पत्र/सत्यापन प्रमाण-पत्र के गलत अथवा कपट पूर्वक प्राप्त करने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होती है तथा उक्त के आधार पर अथवा स्वप्रेरण से सामाजिक प्रास्थिति जिला स्तरीय सत्यापन समिति मेरी सामाजिक प्रास्थिति के संबंध में कोई जाँच करती है अथवा गहन जाँच हेतु सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण-पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति को संदर्भित करती है तथा उक्त समिति या समितियों के द्वारा मेरी सामाजिक प्रास्थिति के संबंध में की गई जाँच एवं पारित निर्णय से यह प्रमाणित होता है कि मेरे द्वारा मेरी सामाजिक प्रास्थिति के संबंध में किया गया दावा तथा प्रस्तुत सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र गलत अथवा कपटपूर्वक प्राप्त किया गया है तो बिना किसी अपवाद के आरक्षित पद/सीट के अध्ययधीन मेरी नियुक्ति/प्रवेश/निर्वाचन/चयन/प्रदत्त लाभ/सुविधा, यथास्थिति अनावेदक (संबंधित लोक नियोजक/शैक्षणिक संस्था/संवैधानिक निकाय/राज्य शासन/केन्द्र शासन का नाम)

..... द्वारा तत्काल प्रभाव से निरस्त/समाप्त/अपवर्जित किया जा सकेगा तथा मैं उक्त नियुक्ति/प्रवेश/निर्वाचन/चयन/प्रदत्त लाभ/सुविधा आदि के संबंध में व्यय की गई राशि अनावेदक को वापस करने हेतु दायित्वाधीन होऊँगा तथा उक्त राशि मुझसे भू राजस्व के बकाया की भाँति वसूली जा सकेगी तथा उक्त संबंध में मेरे विरुद्ध छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रारिथति के प्रमाणीकरण का विनियमन) अधिनियम, 2013 की धारा 8 से 13 में निर्दिष्ट कार्यवाही की जा सकेगी

हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी
आत्मज/आत्मजा सत्यापित करता हूँ कि इस शपथ पत्र की कण्डिका 1 से 5 में उल्लिखित लेख मेरे सर्वोत्तम ज्ञान एवं जानकारी अनुसार सही है, जिसे मैं पूरे होशो हवास में सत्यापित करता हूँ

हस्ताक्षर